

## बिहार विधान सभा सचिवालय

घोडश बिहार विधान सभा के त्रयोदश सत्र में व्यवस्थापन हेतु दिनांक 08 जुलाई, 2019 के लिए संलग्न कटौती प्रस्ताव की सूचनाएँ प्राप्त हुई हैं :-

## माँग संख्या - 48

### आय-व्ययक शीर्षक - नगर विकास एवं आवास विभाग

51. प्रभारी मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग प्रस्ताव करेंगे कि "नगर विकास एवं आवास विभाग" के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए 51,58,78,99,000/- (इक्यावन अरब अनटावन करोड़ अटहत्तर लाख निनानवे हजार) रूपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 52-58. श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी, श्री ललित कुमार यादव, श्री सदानंद सिंह, श्री भोला यादव, श्री महबूब आलम, श्री समीर कुमार महासेठ एवं श्री रामदेव राय प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटाई जाय।

राज्य सरकार की नगर विकास एवं आवास नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

## माँग संख्या - 36

### आय-व्ययक शीर्षक - लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

59. प्रभारी मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग प्रस्ताव करेंगे कि "लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग" के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए 36,84,18,17,000/- (छत्तीस अरब चौरासी करोड़ अठाहर लाख सत्रह हजार) रूपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 60-62. श्री ललित कुमार यादव, श्री महबूब आलम एवं श्री समीर कुमार महासेठ प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटाई जाय।

राज्य सरकार की लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

## माँग संख्या - 35

### आय-व्ययक शीर्षक - योजना एवं विकास विभाग

63. प्रभारी मंत्री, योजना एवं विकास विभाग प्रस्ताव करेंगे कि "योजना एवं विकास विभाग" के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए 24,88,94,90,000/- (चौबीस अरब अठासी करोड़ चौरानवे लाख नब्बे हजार) रूपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 64-66. श्री ललित कुमार यादव, श्री महबूब आलम एवं श्री समीर कुमार महासेठ प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटाई जाय।

राज्य सरकार की योजना एवं विकास नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

## माँग संख्या - 39

### आय-व्ययक शीर्षक - आपदा प्रबंधन विभाग

67. प्रभारी मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग प्रस्ताव करेंगे कि "आपदा प्रबंधन विभाग" के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए 48,90,55,75,000/- (अड़तालिस अरब नब्बे करोड़ पचाहन लाख पचहत्तर हजार) रूपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 68-71. श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी, श्री ललित कुमार यादव, श्री महबूब आलम एवं श्री समीर कुमार महासेठ प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटाई जाय।

राज्य सरकार की आपदा प्रबंधन नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

बटेश्वर नाथ पाण्डेय

सचिव

बिहार विधान सभा, पटना।

कटौती प्रस्ताव की स्वीकृति का निर्णय सदन में माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा किया जायगा।

ज्ञाप सं०-आय-व्ययक-०३/२०१९- २६८५

/विंस०, पटना, दिनांक- २८ जून, २०१९ ई० ।

प्रति:- बिहार विधान सभा के संबंधित माननीय सदस्यगण / माननीय मुख्यमंत्री / माननीय उप मुख्य (वित्त) मंत्री / अन्य मंत्रिगण / सरकार के मुख्य सचिव / सरकार के संबंधित विभाग / राज्यपाल के प्रधान सचिव / वित्त आयुक्त / प्रधान सचिव, संसदीय कार्य विभाग / निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग / महाधिवक्ता, माननीय उच्च न्यायालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

२८/६/१९

(भूदेव राय)

निदेशक,

बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप सं०-आय-व्ययक-०३/२०१९- २६८५

/विंस०, पटना, दिनांक- २८ जून, २०१९ ई० ।

प्रति:- आप्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय / प्रधान आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित ।

२८/६/१९

(भूदेव राय)

निदेशक,

बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप सं०-आय-व्ययक-०३/२०१९- २६८५

/विंस०, पटना, दिनांक- २८ जून, २०१९ ई० ।

प्रति:- अवर सचिव, श्रव्य एवं दुर्य इकाई शाखा को विधान सभा के बेवसाइट पर डालवाने हेतु प्रेषित ।

२८/६/१९

(भूदेव राय)

निदेशक,

बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप सं०-आय-व्ययक-०३/२०१९- २६८५

/विंस०, पटना, दिनांक- २८ जून, २०१९ ई० ।

प्रति:- विधायी शाखा एवं विधायी बजट शाखा (पाँच प्रतियों में), बिहार विधान सभा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

२८/६/१९

(भूदेव राय)

निदेशक,

बिहार विधान सभा, पटना ।

२८/६

०१/७/१९